"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 468] रायपुर, सोमवार, दिनांक 25 अगस्त 2014 — भाद्र 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 7422/डी. 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. --- छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21-08-2014 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 17 सन् 2014)

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहलाएगा.

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्र. 25 सन् 2004) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 2 में,-

"(एक) खण्ड (चौदह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(चौदह) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिपति और उसे चांसलर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

(दो) खण्ड (चौदह) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(चौदह-क) "कुलाधिसचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलाधिसचिव, और उसे रेक्टर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;

(तीन) खण्ड (पन्द्रह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(पंद्रह) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति, और उसे वाइस चांसलर के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

(चार) खण्ड (बीस) के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(बीस-क) "कुलसचिव" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलसचिव, और उसे रजिस्ट्रार के रूप में भी निर्दिष्ट किया जा सकेगा ;"

धारा 13 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(6) कुलपति की मृत्यु, पदत्याग, अवकाश, रुग्णता या अन्य कारण से, पद रिक्त होने की दशा में, जिसमें अस्थायी रिक्ति भी सम्मिलित है, कुलाधिपति-

(क) राज्य के निजी विश्वविद्यालय से भिन्न, किसी अन्य विश्वविद्यालय के कुलपति, या

(ख) राज्य सरकार से सलाह के उपरांत, राज्य सरकार के किसी अधिकारी,

को कुलपति के रूप में, ऐसी तारीख तक कार्य करने के लिए नामित कर सकेगा, जब तक कि धारा 12 की उप-धारा (1) या उप-धारा (7), यथास्थिति, के अधीन नियुक्त कुलपति पद ग्रहण न कर ले :

परंतु यह कि इस उप-धारा में अनुध्यात की गयी व्यवस्था, छः माह से अधिक की कालावधि के लिए चालू नहीं रहेगी."

4. मूल अधिनियम की धारा 17 विलोपित की जाये. — धारा 17 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- — धारा 18 का संशोधन

"18.(1) कुलसचिव, विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक, वैतनिक अधिकारी होगा तथा वह कुलपति के अधीक्षण एवं नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, तथा वह कार्य परिषद्, शैक्षणिक परिषद् तथा शैक्षणिक योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा.

(2) कुलसचिव की अर्हतायें ऐसी होंगी, जैसी कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जायें :

परंतु यह कि राज्य सरकार उच्चतर अर्हताओं को अंगीकार करने का निर्णय ले सकती है.

(3) कुलसचिव के रूप में नियुक्त व्यक्ति की पदावधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह कि वह दूसरी पदावधि, जो तीन वर्ष से अधिक की न हो, के लिए पात्र होगा.

(4) राज्य सरकार, कुलाधिपति के अनुमोदन से, अपेक्षित योग्यता वाले-

(एक) केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार, या

(दो) निजी विश्वविद्यालय से भिन्न विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय माने गये निजी संस्थाओं से भिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थान, या संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित संस्थान,

के किसी भी संवर्ग या पद के व्यक्ति को प्रतिनियुक्ति पर कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेगी.

(5) कुलसचिव संस्था के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधि और संपत्ति का अभिरक्षक होगा और अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उसे इनके समुचित अभिरक्षण, संधारण और संचालन को सुनिश्चित करने की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी.

(6) कुलसचिव ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसे कि इस अधिनियम, इसके अधीन निर्मित परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अधीन या कार्य परिषद् द्वारा समनुदेशित किए जाएं.

(7) कुलसचिव, कुलाधिपति या राज्य सरकार द्वारा मंगायी गयी सूचना या दस्तावेज, उनके द्वारा अपेक्षित रीति से, उपलब्ध करायेगा."

धारा 22 का संशोधन. 6. मूल अधिनियम की धारा 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"22.(1) कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय की कार्यपालिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(दो) तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(तीन) वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(चार) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक आयुक्त या संचालक या उसका प्रतिनिधि, जो पदेन सदस्य होगा ;

(पांच) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी या व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से नामित तीन ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्, जो सदस्य होंगे :

परंतु यह कि इन शिक्षाविदों में से कम से कम एक व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र से होगा ;

(छः) विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा नामित विधान सभा का एक सदस्य, जो सदस्य होगा ;

(सात) कुलाधिसचिव, जो पदेन सदस्य होगा ;

(आठ) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों या पॉलीटेक्निकों का नामित किया जाने वाला प्राध्यापक, जो सदस्य होगा ; और

(नौ) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यगण दो वर्षों की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

(3) परिषद् तीन माह में कम से कम एक बार तथा जैसी आवश्यकता हो, बैठक करेगी.

(4) परिषद् की बैठक के समय और स्थान की सूचना और उसका एजेन्डा सदस्यों के मध्य, बैठक की तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा :

परंतु यह कि बैठक के एजेन्डा बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत सूचना और समर्थन दस्तावेजों से युक्त एजेंडा की टिप्पणियाँ, बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित की जाएंगी :

परंतु यह और कि एजेन्डा की टिप्पणियों को निर्धारित समयसीमा में परिचालित करने में कोई कठिनाई होने की दशा में, इन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के भारसाधक सचिव की सहमति से बैठक के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जा सकेगा.

(5) कुलपति, कभी भी, आपात् बैठक बुला सकेगा, परंतु उसमें ऐसा कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जाएगा, जिसकी तत्काल अत्यावश्यकता न हो और ऐसी बैठक की सूचना और उसके लिये एजेन्डा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित बैठक की तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किये जाएंगे :

परंतु यह और कि जहां स्थिति की यह मांग हो, कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, अल्पतर सूचना पर आपात् बैठक बुला सकेगा और उसके लिये एजेंडा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित, ईमेल माध्यम सहित, अविलंब परिचालित किया जायेगा.

(6) परिषद् के छः सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी.

(7) बैठक में कोई भी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भाग ले सकेगा और अपना मत (वोट) डाल सकेगा."

7. मूल अधिनियम की धारा 23 के खंड (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 23 का संशोधन.**

"(बारह) शैक्षणिक परिषद् की अनुशंसाओं पर और इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, इन विशेषाधिकारों में से किसी को प्रत्याहृत करना और किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक के प्रबंधन को अधिग्रहित करना :

परंतु यह कि नवीन महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक की स्थापना करने या डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जोड़ने या उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसे किन्हीं विशेषाधिकारों को देने या उन्हें प्रत्याहृत करने या अधिग्रहित करने पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसे विशेषाधिकार देने, उन्हें प्रत्याहृत करने, अधिग्रहित करने, जोड़ने, प्रवेश क्षमता आदि के लिए अनुमति न दी गई हो ;"

8. मूल अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) में,- **धारा 24 का संशोधन.**

(एक) खंड (चार) में, शब्द "तकनीकी शिक्षा विभाग का भारसाधक सचिव" के स्थान पर, शब्द "तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव या विभाग से उसका प्रतिनिधि" प्रतिस्थापित किया जाये.

(दो) खंड (पांच) में, शब्द "वित्त विभाग का भारसाधक सचिव" के स्थान पर, शब्द "वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक सचिव, या विभाग से उसका प्रतिनिधि" प्रतिस्थापित किया जाये.

9. मूल अधिनियम की धारा 25 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 25 का संशोधन.**

"25. (1) शैक्षणिक परिषद्, विश्वविद्यालय की अकादमिक निकाय होगी और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होगा ;

(दो) कुलाधिसचिव, जो पदेन सदस्य होगा ;

(तीन) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन का भारसाधक आयुक्त या संचालक, जो पदेन सदस्य होगा ;

(चार) विश्वविद्यालय अध्ययन विभागों का निदेशक, जो पदेन सदस्य होगा ;

(पांच) तकनीकी शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और शासकीय पॉलीटेक्निकों में शिक्षकों के संवर्ग से, राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षक, जो सदस्य होंगे ;

(छः) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में प्रवेशित महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों के कुलाधिपति द्वारा नामित दो शिक्षक, जो सदस्य होंगे ;

(सात) राज्य सरकार से परामर्श के उपरांत कुलाधिपति द्वारा नामित रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त संचालक से अनिम्न स्तर का अधिकारी, जो सदस्य होगा ; और

(आठ) कुलसचिव, जो पदेन सदस्य-सचिव होगा.

(2) पदेन सदस्यों से भिन्न, परिषद् के सदस्यगण दो वर्षों की कालावधि के लिये पद धारण करेंगे.

(3) परिषद्, तीन माह में कम से कम एक बार तथा जैसी आवश्यकता हो, बैठक करेगी.

(4) परिषद् की बैठक के समय और स्थान की सूचना और उसका एजेन्डा सदस्यों के मध्य, बैठक की तारीख से कम से कम दस दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जाएगा :

परंतु यह कि बैठक के एजेन्डा बिंदुओं पर निर्णय लेने के लिए सुसंगत सूचना और समर्थन दस्तावेजों से युक्त एजेंडा की टिप्पणियां, बैठक की तारीख से कम से कम पांच दिवस पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित की जाएंगी :

परंतु यह और कि एजेन्डा की टिप्पणियों को निर्धारित समयसीमा में परिचालित करने में कोई कठिनाई होने की दशा में, इन्हें तकनीकी शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के भारसाधक सचिव की सहमति से बैठक के कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किया जा सकेगा.

(5) कुलपति, कभी भी, आपात बैठक बुला सकेगा, परंतु उसमें ऐसा कोई कार्य संव्यवहृत नहीं किया जाएगा, जिसकी तत्काल अत्यावश्यकता न हो और ऐसी बैठक की सूचना और उसके लिये एजेन्डा, एजेन्डा की टिप्पणियां सहित बैठक की तारीख से कम से कम अड़तालीस घंटे पूर्व, ईमेल माध्यम सहित, परिचालित किये जाएंगे :

परंतु यह और कि जहां स्थिति की यह मांग हो, कुलपति, कुलाधिपति की पूर्व अनुमति से, अल्पतर सूचना पर आपात बैठक बुला सकेगा और उसके लिये एजेंडा, एजेंडा की टिप्पणियों सहित, ईमेल माध्यम सहित, अविलम्ब परिचालित किया जावेगा.

(6) परिषद् के छः सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी.

(7) बैठक में कोई भी सदस्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से भाग ले सकेगा और अपना मत (वोट) डाल सकेगा."

10. मूल अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (पांच) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- **धारा 26 का संशोधन.**

"(पांच) इस अधिनियम एवं परिनियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से अनुमोदन प्राप्त महाविद्यालयों और पॉलीटेक्निकों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देना, इनमें से किसी विशेषाधिकार को प्रत्याहृत करना और किसी महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक के प्रबंधन को अधिग्रहित करना :

परंतु यह कि नवीन महाविद्यालय या पॉलीटेक्निक की स्थापना करने या डिप्लोमा या स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर किसी कार्यक्रम या पाठ्यक्रम को जोड़ने या उसकी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के लिए ऐसे किन्हीं विशेषाधिकारों को देने या उन्हें प्रत्याहृत करने या अधिग्रहण करने पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार ऐसे विशेषाधिकार देने, प्रत्याहृत करने, अधिग्रहित करने, जोड़ने, प्रवेश क्षमता आदि के लिए अनुमति न दी गई हो ;"

11. मूल अधिनियम की धारा 64 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- **नई धारा 65 एवं 66 का परिवर्धन (जोड़ा जाना).**

"65. **नियम बनाने की शक्ति.**- राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों में से समस्त या किसी प्रयोजन के क्रियान्वयन के लिए नियम बना सकेगी."

66. **परिनियम, अध्यादेश एवं नियम का राजपत्र में प्रकाशन किया जाना तथा विधानमंडल के समक्ष रखा जाना.**- इस अधिनियम के अधीन निर्मित प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश एवं नियम, इसके निर्मित किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के सदन के पटल पर, जब वह सत्र में कुल तीस दिवस की अवधि के लिए हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, और यदि उस सत्र जिसमें इसे पटल पर रखा गया है अथवा उसके ठीक उत्तरवर्ती सत्र के अवसान के पूर्व, सदन यदि परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, में किसी प्रकार के उपान्तरण की सहमति देता है अथवा यदि सदन सहमत होता है कि परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, नहीं बनाया जाना चाहिए तथा राजपत्र में ऐसा विनिश्चय अधिसूचित करता है, तो ऐसा परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, यथास्थिति, केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा :

परंतु यह कि ऐसा कोई उपान्तरण या विलोपन, उस परिनियम या अध्यादेश या नियम, जैसी भी स्थिति हो, के अधीन पूर्व में किये गये किसी कार्य की विधिमान्यता या विलोपन पर, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा."

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2014

क्रमांक 7422/डी. 144/21-अ/प्रारू./छ. ग./14. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (क्रमांक 17 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 17 of 2014)

THE CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2014

An Act further to amend the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fifth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title, extent and commencement. 1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014.

(2) It extends to the whole of the State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 2. 2. In Section 2 of the Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act, 2004 (No. 25 of 2004), (hereinafter referred to as the Principal Act).-

(i) For clause (fourteen), the following shall be substituted, namely :-

"(fourteen) "Kuladhipati" means the Kuladhipati of the University and he may be referred to as the Chancellor;"

(ii) After clause (fourteen), the following shall be inserted, namely :-

"(fourteen-a) "Kuladhisachiv" means the Kuladhisachiv of the University and he may be referred to as the Rector;"

(iii) For clause (fifteen), the following shall be substituted, namely :-

"(fifteen) "Kulpati" means the Kulpati of the University and he may be referred to as the Vice-Chancellor;"

(iv) After clause (twenty), the following shall be inserted, namely :-

"(twenty-a) "Registrar" means the Registrar of the University and he may be referred to as the Kulsachiv;"

Amendment of Section 13. 3. For sub-section (6) of Section 13 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(6) In the event of occurrence of any vacancy, including a temporary vacancy, in the office of Kulpati, by reason of death, resignation, leave, illness or otherwise, Kuladhipati may nominate-

(a) Vice-Chancellor of any other University of the State, other than a Private University, or

(b) After consultation with the State Government, an officer of the State Government,

to act as the Kulpati, till the date on which Kulpati appointed under sub-section (1) or sub-section (7) of Section 12, as the case may be, enters the soffice :

"Provided that the arrangement contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months."

4. Section 17 of the Principal Act shall be omitted. **Amendment of Section 17.**

5. For Section 18 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 18.**

"18. (1) The Registrar shall be a whole-time, salaried officer of the University and, subject to the general superintendence and control of Kulpati, shall discharge his duties and shall also act as the Secretary to the Executive Council, Academic Council, and Academic Planning and Evaluation Board.

(2) The qualifications of the Registrar shall be such as may be laid down by the Government of India, Ministry of Human Resource Development, from time to time :

Provided that the State Government may decide to adopt higher qualifications.

(3) A person appointed as Registrar shall have a term not exceeding three years :

Provided that he shall be eligible for a second term not exceeding three years.

(4) The State Government, with the approval of Kuladhipati, may appoint on deputation as the Registrar, a person having the requisite qualifications, from any cadre or post of-

(i) the Central Government or any State Government or Union Territory, or

(ii) University other than a private university, an institution of higher education other than a private institution, deemed to be a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (No. 3 of 1956), or an institution declared to be of national importance by the Parliament by law.

(5) The Registrar shall be the custodian of records, the common seal, the funds and the property of the Institute and subject to the provisions of the Act he shall have all the powers to ensure the proper custody, maintenance and operation of the same.

(6) The Registrar shall exercise such other powers and perform such other functions, as may be assigned to him under this Act, the Statutes, Ordinances and Regulations framed thereunder or by the Executive Council.

(7) The Registrar shall furnish information or records that Kuladhipati or the State Government may call in such manner as they may require."

6. For Section 22 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :- **Amendment of Section 22.**

"22. (1) The Executive Council shall be the executive body of the University and shall consist of the following members, namely :-

(one) Kulpati, who shall be the *ex-officio* Chairperson ;

(two) Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member ;

(three) Secretary in-charge of the Department of Finance, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member

(four) Commissioner or Director in-charge of the Directorate of Technical Education, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member :

(five) Three eminent educationists from the fields of engineering, technology or vocational education, nominated by Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be Members :

Provided that at least one of these educationists shall be from the field of vocational education ;

(six) A member of Vidhan Sabha, nominated by the Speaker, who shall be the Member ;

(seven) Kuladhisachiv, who shall be the *ex-officio* Member ;

(eight) A professor, from amongst the colleges or polytechnics admitted to the privileges of the University, to be nominated by Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be the Member; and

(nine) Registrar, who shall be the *ex-officio* Member-Secretary.

(2) Members of the Council, other than the *ex-officio* Members, shall hold office for a period of two years.

(3) The Council shall meet at least once in three months and as may be necessary.

(4) The notice of the time and place of the meeting of the Council and the agenda therefor shall be circulated among the members, including by email, at least ten days before the date of the meeting :

Provided that the agenda notes containing information and supporting documents, relevant for decision on items on the agenda for the meeting shall be circulated, including by email, at least five days before the meeting :

Provided further that in case there is any difficulty in circulating the agenda notes within the requisite timeframe, the same may be circulated, including by email, with the concurrence of the Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh, at least forty-eight hours before the meeting.

(5) Kulpati may, at any time, call an emergency meeting, but no business that is not of immediate urgency shall be transacted thereat and notice of such meeting and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated, including by email, at least forty-eight hours before the meeting :

Provided that where the situation so demands, Kulpati may call an emergency meeting at a shorter notice, with prior permission of Kuladhipati and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated forthwith, including by email.

(6) Six members of the Council shall constitute the quorum.

(7) In a meeting, any member may be present and cast his vote through electronic means."

Amendment of Section 23.

7. For clause (twelve) of Section 23 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(twelve) To admit Colleges and Polytechnics to privileges of the University, to withdraw any of these privileges, and to takeover the management of any College or Polytechnic, on the recommendations of the Academic Council and subject to the provisions of this Act and Statutes :

Provided that no such admission to the privileges or withdrawal thereof or taking over shall be considered for establishment of a new College or Polytechnic or addition in any programme or course at the diploma or undergraduate or postgraduate level or increase in the intake thereof, unless the State Government in its discretion has permitted such admission to the privileges, withdrawal thereof, takeover, addition, intake etc.;"

Amendment of Section 24.

8. In sub-section (1) of Section 24 of the Principal Act,-

(i) In clause (four), for the words "Secretary, Department of Technical Education", the words "Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh, or his representative from the Department" shall be substituted.

(ii) In clause (five), for the words "Secretary, Department of Finance", the words "Secretary in-charge of the Finance Department, Government of Chhattisgarh, or his representative from the Department" shall be substituted.

Amendment of Section 25.

9. For Section 25 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"25. (1) The Academic Council shall be the academic body of the University and shall consist of the following members, namely :-

(one) Kulpati, who shall be the *ex-officio* Chairperson ;

(two) Kuladhisachiv, who shall be the *ex-officio* Member ;

(Three) Commissioner or Director sin-charge of the Directorate of Technical Education, Government of Chhattisgarh or his representative, who shall be the *ex-officio* Member ;

(four) Director of the University Teaching Department, who shall be the *ex-officio* Member ;

(five) Two teachers from amongst the cadre of teachers of Government Engineering Colleges and Government Polytechnics under the Directorate of Technical Education, Government of Chhattisgarh, to be nominated by the Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be the Members;

(six) Two teachers from the Colleges and Poytechnics admitted to the privileges of the University, to be nominated by Kuladhipati, who shall be the Members;

(seven) An officer of the Directorate of Employment and Training, Government of Chhattisgarh, not below the rank of Joint Director, to be nominated by the Kuladhipati after consultation with the State Government, who shall be the Member; and

(eight) Registrar, who shall be the *ex-officio* Member-Secretary.

(2) Members of the Council, other than the *ex-officio* Members, shall hold office for a period of two years.

(3) The Council shall meet at least once in three months and as may be necessary.

(4) The notice of the time and place of the meeting of the Council and the agenda therefor shall be circulated among the members, including by email, at least ten days before the date of the meeting :

Provided that the agenda notes containing information and supporting documents, relevant for decision on items on the agenda for the meeting shall be circulated, including by email, at least five days before the meeting :

provided further that in case there is any difficulty in circulating the agenda notes within the requisite timeframe, the same may be circulated, including by email, with the concurrence of the Secretary in-charge of the Department of Technical Education, Government of Chhattisgarh, at least forty-eight hours before the meeting.

(5) Kulpati may, at any time, call an emergency meeting, but no business that is not of immediate urgency shall be transacted thereat and notice of such meeting and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated, including by email, at least forty-eight hours before the meeting :

Provided that where the situation so demands, Kulpati may call an emergency meeting at a shorter notice, with prior permission of Kuladhipati and the agenda along with agenda notes therefor shall be circulated forthwith, including by email.

(6) Six members of the Council shall constitute the quorum.

(7) In a meeting, any member may be present and cast his vote through electronic means."

Amendment of Section 26.

10. For clause (five) of sub-section (1) of Section 26 of the Principal Act, the following shall be substituted, namely :-

"(five) To admit Colleges and Polytechnics having approval from the All India Council for Technical Education to the privileges of the University, to withdraw any of these privileges, and to takeover the management of any College or Polytechnic, subject to the provisions of this Act and Statutes :

Provided that no such admission to the privileges or withdrawal thereof or taking over shall be considered for establishment of a new College or Polytechnic or addition in any programme or course at the diploma or under graduate or postgraduate level or increase in the intake thereof, unless the State Government in its discretion has permitted such admission to the privileges, withdrawal thereof, takeover, addition, intake etc.;"

Addition of new Sections 65 and 66.

11. After Section 64 of the Principal Act, the following shall be added, namely :-

"65. **Power to make Rules**.-The State Government may, subject to the previous publication by notification in the Official Gazette, make Rules to carry out all or any of the purpose of this Act.

66. **Statutes, Ordinance and Rules to be published in the Official Gazette and to be laid before the Legislature**.-(1) Every Statute, Ordinance and Rule made under this Act shall be published in the Official Gazette.
(2) Every Statute, Ordinance and Rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before the House of the State Legislature while it is in session, for a total period of thirty days, which may be comprised in one session or two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the House agrees in making any modification to the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, or the House agrees that the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, should not be made, and notifies such decision in the Official Gazette, the Statute or the Ordinance or the Rule, as the case may be, shall from the date of publication of such notification have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be :

Provided that any such modification or annulment shall be without prejudi ce to the validity of anything previously done or omitted to be done under that Statute or Ordinance or the Rule, as the case may be."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.